न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

प्रकरण : संख्या– 77/2021 प्रा०पत्र शीर्षक श्री माधवलाल [illegible] बनाम [illegible] दास

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
02.4.24	वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारीजी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 23.7.24 को पेश हो। आज्ञा से	
23.07.24	वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारीजी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 24.09.24 को पेश हो। आज्ञा से	
24.09.24	पत्रा० पेश हुई अधि० उभयपक्ष उप० बहस हेतु अवसर चाहा जो दिया गया पत्रा० वास्ते बहस दि० 28.10.24 को पेश हो।	
28-10-24	वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 28.1.25 को पेश हो।	
28-1-2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण के जवाब का अवलोकन करने पर यह जाहिर आया कि मूल प्रकरण 95/2020 प्रा०पत्र) दिनांक 5-02-2021 को विपक्षीगण के जवाब हेतु नियत ---- --- निरन्तर P.T.O.	

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

प्रकरण संख्या- 77/2021 प्रा० पत्र शीर्षक श्री नारायण जी व्यास बनाम मुन्नीदेवी वगैरह मुन्डोत

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
	था एवं कोरोना काल के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों को आवश्यक होने पर ही न्यायालय मे उपस्थित होने के निर्देश होने के चलते प्रार्थीगण न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। अधिवक्ता भोपालसिंह राव के अन्य न्यायालय मे व्यस्त होने से एवं उनके जूनियर प्रार्थी अधिवक्ता गिरधरलाल जी गुर्जर के पुत्र का स्वर्गवास हो जाने से गमी के चलते उनमें से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नही हो सका। जिससे न्यायालय का मत है कि अनुपस्थिति का उचित एव पर्याप्त कारण होने से न्यायहित मे विलम्ब अवधी Cost पर कन्डोन करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा॰ दी॰ स्वीकार किया जाना उचित है।	
	अतः 500/- (अक्षरे पान्च सौ रूपये) रूपये के Cost पर धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है एवं मूल प्रा० पत्र प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।	
	पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जावे।	
	(हस्ताक्षर)	

Scanned with ACE Scanner